

कार्यालय उपजिलाधिकारी अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर

पत्रांक-85/एस0टी0-एस0 डी0 एम0/प्र0प0/2020

दिनांक: 28 नवम्बर, 2020

लैंडयूज प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बेवाना, तहसील अकबरपुर, जनपद अयोध्या, स्थित गाटा संख्या 768 व 2159, रकबा 0.901 हे० भू-अभिलेख में हरिराम तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी निवासी ग्राम- देवरा दाऊदपुर, पोस्ट- राजापुर, सरैया, परगना- अमसिन, तहसील- सदर, जिला- अयोध्या व श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी अनन्त प्रसाद निवासी ग्राम- बेवाना, परगना व तहसील- अकबरपुर, जनपद- अम्बेडकरनगर के नाम अंकित है तथा उपजिलाधिकारी अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वाद संख्या 102/2015 व 128/2014 दिनांक 16.05.2014 धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -2006 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है। उक्त अ०न० पर कालेज का भवन निर्मित है इस भूखण्ड का प्रयोग शिक्षण कार्य हेतु किया जायेगा। अतः उक्त अ०न० का भू-प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न शैक्षिक कार्य के प्रयोजनार्थ है।


उपजिलाधिकारी

तहसील-अकबरपुर, अम्बेडकरनगर